संख्या-09/2018-सा-3-215/दस-2018-509/2018

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक: 03 अप्रैल, 2018

विषयः- वित्त वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-पेंशन निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में पारित लेखानुदान के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये संविधान के अनुच्छेद-204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या-19 सन् 2018) से प्राधिकृत हो चुके हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृत जारी करने तथा धनराशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में होने वाले संभावित वचनबद्ध व्यय के लिये पारित लेखानुदान के अनुरूप निम्न लेखाशीर्ष के तहत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि रू0 लाख

अनुदान संख्या-65 लेखाशीर्ष 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन - आयोजनेत्तर- 800 - अन्य व्यय -03 - पेंशन निदेशालय	वित्तीय वर्ष 2018-19 का मूल आय-व्ययक
01-वेतन	850.00
03-महँगाई भत्ता	85.00
04-यात्रा व्यय	4.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

07-मानदेय	0.40
08-कार्यालय व्यय	25.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रमण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	93.00
14-मोटर गाडियों का व्यय	14.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	950.00
42-अन्य व्यय	4.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रांसगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का व्यय	32.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तद्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22.00
49-चिकित्सा व्यय	15.00
51-वर्दी व्यय	0.20
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	42.00
कुल योग	2227.10

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बनध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी किय गये शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-09/2018-सा-3-215(1)/दस-2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

3- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-3

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।